जर्जर इमारतों को लेकर हेरिटेज निगम की सख्त कार्रवाई, तीन जर्जर भवन किए ध्वस्त

जयपुर। राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज जयपुर की ओर से परकोटे में तीन जर्जर भवनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में मणिहारों के रास्ते और खेजड़ों के रास्ते में एक-एक भवन को ढहाया गया, जबकि खुद शासन सचिव की मौजूदगी में नाटाणियों के रास्ते में नाटाणियों की हवेली के एक हिस्से को भी गिराया गया।

नोटिस के बाद भी भवन मालिक ने नहीं शुरू किया मरम्मत कार्य, निगम ने की तीन इमारतों पर कार्रवाई

इस संबंध में हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने बताया कि हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में चिह्नित 126 जर्जर भवनों में से सोमवार को किशनपोल जोन की तीन जर्जर इमारतों पर एक्शन लिया गया। यहां सबसे पहले मणिहारों के रास्ते में महावीर पार्क के सामने एक भवन को गिराया गया। इसके बाद खेजड़ों के रास्ते में मकान संख्या 2185 मोदी भवन को ढहाया गया। इसके अलावा त्रिपोलिया बाजार में नाटाणी भवन के एक जर्जर हिस्से पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इन सभी भवन मालिक को जर्जर हिस्से की मरम्मत करने के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन 24 घंटे में कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर हेरिटेज निगम की किशनपोल जोन की ओर से कार्रवाई की गई।

शासन सचिव की मौजूदगी में कार्रवाई

वहीं, निगम की टीम ने त्रिपोलिया बाजार में नाटाणीयों रस्ते में स्थित नाटाणी हवेली पर भी कार्रवाई की। इस दौरान शासन सचिव रवि जैन, डीएलबी डायरेक्टर जेपी चंद्रशेखर, हेरिटेज निगम आयुक्त निधि पटेल और ग्रेटर निगम आयुक्त गौरव सैनी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का निरीक्षण किया।

अभी और भी भवनों पर होगी कार्रवाई

किशनपोल जोन डीसी दिलीप भंभानी ने बताया कि क्षेत्र में जिन बिल्डिंगों के हालात ज्यादा खराब हैं, बारिश में गिर सकते हैं, जान-माल का नुकसान हो सकता है, उन्हें आइडेंटिफाई कर ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। अकेले किशनपोल जोन में 65 भवन जर्जर स्थिति में हैं। जिनमें से 6 को ढहाने के लिए प्राथमिकता पर नोटिस जारी किए गए। इनमें से तीन भवन मालिकों ने अपने स्तर पर भवन को मरम्मत करना शुरू कर दिया है, जबकि तीन पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इनमें से खेजड़ों के रास्ते में करीब 90 साल पुराने मोदी भवन को ढहाया गया। इसी तरह मणिहारों के रास्ते में महावीर उद्यान के ठीक सामने एक पुराने भवन को ढहाया गया है। यहां पहले बिल्डिंग को खाली कराया गया था. उसके बाद सीज किया गया। तीन से चार दिन का गैप दिया गया और अब बिल्डिंग को ढहाया गया है। उन्होंने बताया कि बाकी तीन भवनों में मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। उसकी भी जांच की जाएगी। यदि संतोषजनक कार्य नहीं किया गया तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई में होने वाले खर्च को भवन मालिक से ही वसूला जाएगा। क्योंकि ये काम निगम प्रशासन का नहीं, बल्कि भवन मालिकों का है। साथ ही बताया कि इनके अलावा और भी इमारतें हैं, जिनका कमेटी विजिट करेगी। और यदि ऐसी कोई रिस्की इमारतें होंगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी, उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सहित निगम को इंजीनियरिंग विंग और अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे।

2020/12/16 13:44

2020/12/16 13:47